स्व-रोजगार कार्यक्रम

(प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

एफ. सं. के–14014/1/2013–यूपीए
भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(यूपीए प्रभाग)

निमार्ण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत स्व–रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के लिए प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के लिए दिशा–निर्देश दिनांक 24 सितंबर,2013 के का. ज्ञा. सं. के–14011/1/2013–यूपीए के तहत जारी किए जा चुके हैं।

2. एनयूएलएम के घटक स्व–रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के लिए प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश संलग्न हैं, जिनका अनुपालन सभी कार्यान्वयन एजेंसियां करेंगी। ये दिशा–निर्देश आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं तथा इसे http://mhupa.gov.in/NULM_Mission/NULM_Mission.htm. से प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसे माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./–
(बी.के. अग्रवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

विषय सूची

1. प्रस्तावना 1
2. लाभार्थियों का चयन..... 1
3. शैक्षिक योग्यताएं एवं प्रशिक्षण आवश्यकता 2
4. वित्तीय सहायोग का पैटर्न 3
5. ब्याज आर्थिक सहायता के लिए प्रक्रिया..... 3
6. उप घटक 4.1–एकल उद्यम (एसईपी–आई) ऋण एवं अनुदान 3
7. उप घटक 4.2–समूह उद्यम (एसईजी–जी) ऋण एवं अनुदान 4
8. आवेदनों के प्रयोजन की प्रक्रिया 5
9. स्थानीय नगर निकाय स्तर पर कार्यदल 6
10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमम मंत्रालय की ऋण गारंटी योजना से सम्बद्धता 7
11. एसईपी–I एवं एसईपी–G की प्रगति रिपोर्ट 7
12. उप घटक 4.3– स्वय सहायता समूह ऋणों पर ब्याज सब्सिडी/अनुदान (एसएचजी – बैंक लिंकेज)..... 8
13. उप घटक 4.4– उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड 10
14. उप घटक 4.4– उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड..... 11
15. वित्त पोषण प्रारूप 12
16. निगरानी एवं मूल्यांकन 12

अनुलग्नक–I 13

अनुलग्नक–II 15

अनुलग्नक–III 18

अनुलग्नक–IV 23

अनुलग्नक–V 26

अनुलग्नक–VI 28

1. प्रस्तावना

1.1 ये घटक मुख्य रूप से शहरी गरीबों के ऐसे एकल अथवा समूहों को सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो अपने कौशल, प्रशिक्षण अभिक्षमता एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लाभप्रद उद्यम या सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के इच्छुक होंगे। ये घटक शहरी गरीबों के स्वयं समूहों को बैंको से ऋण प्राप्त करने एवं इस ऋण पर ब्याज सब्सिडी/अनुदान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेगा। ये घटक, एकल/समूह उद्यमियों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, शहरी पथ विक्रेताओं/ फेरीवालों को, जो अपनी आजीविका हेतु लघु उद्यमों में संलग्न है तकनीकी संबंधी, मार्केटिंग संबंधी तथा अन्य सहायक सेवाएं यह घटक उद्यमियों को क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध करवायेगा।

1.2 अल्प रोजगार और बेरोजगार शहरी गरीबों को निर्माण, सेवा और छोटे व्यापार संबंधी लघु उद्यमों जिनके लिए पर्याप्त स्थानीय मांग है, शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्थानीय कौशल और स्थानीय व्यापार को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) को उपलब्ध कौशल, उत्पादों की मार्केटिंग लागत, आर्थिक व्यवहार्यता आदि को ध्यान में रखते हुए ऐसे गतिविधियों/परियोजनाओं की सार-संग्रह का विकास करना चाहिए चाहिए।

1.3 स्वरोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं का प्रतिशत 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कम से कम गरीबों के शहर/कस्बा आबादी में उनकी संख्या के अनंपात की सीमा तक लाभान्वित किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकलांग हेतु 3 प्रतिशत आरक्षण का विशेष प्रावधान बनाया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधान मंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की दृष्टि से इस घटक के अंतर्गत कम से कम वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निर्धारित किया जाएगा।

2. **लाभार्थियों का चयन:** सामुदायिक संगठनकर्ताओं और स्थानीय नगर निकायों के पेशेवर कर्मचारी, शहरी गरीबों के बीच से संभावित लाभार्थियों की पहचान करेंगे। एनयूएलएम के घटक 'सामाजिक संघटन एवं संस्था विकास' एसएमएंड आईडी के तहत गठित विभिन्न सामुदायिक संरचनायें जैसे कि स्वयं सहायता समूह, क्षेत्र स्तरीय संघ भी संभावित एकल एवं समूह उद्यमियों के नाम एसईपी के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु स्थानीय नगर निकायों को सन्दर्भित कर सकेंगे। लाभार्थी सीधे भी स्थानीय नगर निकायों अथवा इनके प्रतिनिधियों से सहायता हेतु सम्पर्क कर सकते हैं। बैंक स्वयं भी अपने स्तर पर लाभार्थियों की पहचान कर ऐसे मामलो को सीधे स्थानीय नगर निकायों को भेज सकते हैं।

3. **शैक्षिक योग्यताएं एवं प्रशिक्षण आवश्यकता:** इस घटक के तहत लाभार्थियों को किसी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तथापि जहाँ सूक्ष्म उद्यम विकास हेतु चिन्हित की गई गतिविधियों के लिए

किसी विशेष कौशल की आवश्यकता होगी वहां लाभार्थियों को वित्तीय सहायता हेतु घटक 3 'कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार' के अर्न्तगत से सम्बद्ध करने से पूर्व उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय सहायता तभी उपलब्ध करायी जानी चाहिए जब संभावित लाभार्थी ने प्रस्तावित सूक्ष्म उद्यम चलाने का आवश्यक कौशल प्राप्त कर लिया हो।

3.1 यदि लाभार्थी ने पहले ही किसी नामी संस्थान, पंजीकृत गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन अथवा किसी शासकीय योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो और अपेक्षित प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया हो तो उसके लिए ऐसे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यदि लाभार्थी ने आवश्यक कौशल पैतृक व्यवसाय ही ग्रहण किया हो तो वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने से पूर्व स्थानीय नगर निकायों द्वारा उसका प्रमाणीकरण अवश्य किया जाना चाहिए।

3.2 **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी):** लाभार्थियों हेतु कौशल प्रशिक्षण के अतिरिक्त स्थानीय नगर निकाय एकल तथा समूह उद्यमियों के लिए 3-7 दिन का उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करेंगे जो उद्यमिता विकास के सामान्य तत्वों को कवर करेगा जैसे कि उद्यम का प्रबंधन, सामान्य लेखा कर्म, वित्तीय प्रबंधन, विपणन, पश्च एवं अग्र सम्पर्क/लिंकेज, विधिक प्रक्रियाएं, लागत और राजस्व आदि। उपर्युक्त विषयों के अलावा समूह उद्यम के माडयूल में समूह गतिकी, कार्य निर्धारण, लाभांश वितरण प्रक्रिया आदि भी शामिल होनी चाहिए।

3.3 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का विकास एवं निर्धारण राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा राज्य मिशन प्रबंध इकाई के सहयोग के साथ-साथ नियुक्त संस्थान/एजेंसी अथवा परामर्श संस्था की सहायता से किया जायेगा और इसी का उपयोग स्थानीय नगर निकाय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु करेंगे। (ईडीएफ) उद्यमिता विकास कार्यक्रम के ये प्रशिक्षण प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से चलाये जाने चाहिए जैसे कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण/प्रबंधन/शैक्षिक संस्थानों से सम्बंद्ध प्रतिष्ठित संस्थान और उद्यमिता विकास से जुडे प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन आदि।

3.4 इस घटक के अर्न्तगत लाभार्थियों के प्रशिक्षण पर आने वाली किसी भी लागत की पूर्ति ईएसटीएंडपी घटक के बजट से की जायेगी।

4. **वित्तीय सहयोग का पैटर्न:** वित्तीय सहयोग, शहरी गरीबों द्वारा एकल/समूह उद्यम स्थापना हेतु लिए गये बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी/अनुदान के रूप में उपलब्ध होगी। ये ब्याज सब्सिडी लिये गये बैंक ऋण की 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दरों पर प्राप्त होगी। एनयूएलएम के अन्तर्गत चालू ब्याज दरों और 7 प्रतिशत की दर के बीच के अन्तर की भरपाई बैंकों को सीधे ही की जायेगी। ब्याज सब्सिडी केवल तभी प्रदान की जायेगी जबकि ऋण भुगतान नियमित हो। इस संदर्भ में बैंको से उपयुक्त प्रमाण पत्र लिये जायेंगे।

5. ब्याज आर्थिक सहायता के लिए प्रक्रिया:

5.1 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) एवं सहकारी बैंक, जो कोर बैंकिग सोल्यूशन (सीबीएस) मंच पर हैं वे ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम प्राप्त करने के योग्य होंगे।

5.2 लाभार्थियों को लोन की अदायगी होने के पश्चात, बैंक की संबंधित शाखा लोन अदायगी मामलों की जानकारी एवं ब्याज आर्थिक सहायता धनराशि की जानकारी के साथ यूएलबी को भेजेगा।

5.3 यूएलबी द्वारा त्रैमासिक आधार पर बैंको के दावों का निपटारा किया जाएगा। यूएलबी अपने स्तर पर आकड़ों की जांच करेगा तत्पश्चात बैंको को ब्याज आर्थिक सहायता धनराशि (7 प्रतिशत प्रति वर्ष के अंतर एवं ब्याज की अभिभावी दर) जारी करेगा।

5.4 इस घटक के अंतर्गत ऋण के लिए ब्याज आर्थिक सहायता के दावों के लिए एक निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-v) में संलग्न है।

5.5 राज्य स्तर के बैंकर समितियों (एसएलबी) के पास एक विकल्प है कि वे राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके दावों के संचयन/स्वीकृति के लिए अन्य वैकल्पिक प्रक्रिया तैयार करें।

5.6 लंबित दावें तीन माह से अधिक नहीं होने चाहिए। यदि बैंको के दावों का 6 माह की समयावधि में निपटान नहीं हो पाता, तब एसएलबी चयनित शहरों में यूएलबी द्वारा दावों की अनुमति विषय पर स्कीमों को अस्थायी रूप से स्थगित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार के संभावितों में, दावों का समाधान अग्रणी जिला बैंक को दिया जाना चाहिए।

6. उपघटक 4.1- एकल उद्यम (एसईपी-I) ऋण एवं अनुदान

6.1 कोई भी शहरी गरीब लाभार्थी जो स्व-रोजगार हेतु एक सूक्ष्म उद्यम की स्थापना का इच्छुक हो इस घटक के तहत किसी भी बैंक से अनुदानित ऋण प्राप्त कर सकता है। एकल सूक्ष्म-उद्यम हेतु ऋण के लिए निम्नलिखित मानक होंगे-

6.2 **आयु:** भावी लाभार्थी की आयु ऋण हेतु आवेदन करते समय **18 वर्ष** पूर्ण हो चुकी होनी चाहिए।

6.3 **परियोजना लागत:** एकल सूक्ष्म उद्यमों हेतु प्राप्ति इकाई अधिकतम परियोजना लागत **2,00,000 रुपये (2 लाख रु.)** तक होगी।

6.4 **बैंक ऋण पर संपार्श्विक गारण्टी:** ऐसे ऋणों पर किसी संपार्श्विक गारण्टी की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र (आरपीसीडी.एसएमई एण्ड एनएफएस.बीसी.नं.79/06.02.31/2009-10) दिनांक 6 मई 2010 के अनुसार बैंकों को आदेश जारी किये गये है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु **10 लाख** तक के ऋणों पर कोई संपार्श्विक गारण्टी न मांगी जाये। ***(संलग्नक 1)*** अत: ऋण दिये जाने पर बैंक केवल सृजित परिसम्पत्तियों को ही दृष्टिबंधित/बंधक/प्रतिभूत करेंगे। गारण्टी रक्षा हेतु क्रियाकलापों की योग्यतानुसार बैंक,स्वरोजगार कार्यक्रम ऋणों हेतु गारण्टी कवर/सुरक्षा के लिए लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्थापित किये गये 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट' तथा भारत सरकार से सम्पर्क कर सकते हैं। ***(विस्तृत विवरण संलग्नक 2 में है)***

6.5 **ऋण अदायगी:** ऋण अदायगी, बैंक नियमों के अनुसार प्रारम्भिक 6-18 माह के स्थगन काल के पश्चात **5 से 7 साल** के भीतर करनी होगी।

7. उपघटक 4.2 - समूह उद्यम एसईपी-जी ऋण एवं अनुदान

एक स्वयं सहायता समूह अथवा (एसजेएसआरवाई/एनयूएलएम) के तहत गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्य अथवा शहरी गरीबों के समूह जो स्वरोजगार हेतु समूह-उद्यम स्थापित करना चाहते हों इस घटक के तहत किसी भी बैंक अनुदानित ऋण प्राप्त कर सकते हैं। समूह सूक्ष्म-उद्यम ऋण हेतु निम्नलिखित मानक होंगे:-

7.1 **योग्यता:** समूह उद्यम में न्यूनतम पांच सदस्य होने चाहिए जिसके कम से कम 70 प्रतिशत सदस्य शहरी गरीब परिवारों से हों। लाभार्थियों/समूह सदस्यों द्वारा समूह-उद्यम स्थापित किये जाने का आवेदन/आशय पत्र सामुदायिक संरचनाओं जैसे कि **एसजेएसआरवाई/एनयूएलएम के तहत गठित स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ के माध्यम से निर्दिष्ट** किया जाना चाहिए।

7.2 **आयु:** बैंक ऋण के लिए आवेदन करते समय उद्यम के सभी सदस्यों की आयु **18 वर्ष** पूर्ण होनी चाहिए।

7.3 **परियोजना लागत:** प्रत्येक समूह उद्यम की परियोजना लागत अधिकतम **10 लाख रुपये** तक होगी।

7.4 **ऋण:** परियोजना लागत से लाभार्थियों के अंश को घटाकर (जैसा कि बैंक निर्दिष्ट करे) शेष राशि समूह उद्यम हेतु बैक से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।

7.5 **बैंक ऋण पर संपार्श्विक गारण्टी:** ऋण हेतु किसी संपार्श्विक गारण्टी की जरूरत नहीं होगी। बैंक ऋण जारी करते समय केवल उन्हीं परिसम्पत्तियों को दृष्टिबंधित/बंधक/प्रतिभूत करेंगे जो सृजित

की जायेंगी। बैंक ऋण की गारण्टी/सुरक्षा के लिये लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्थापित किये गये 'सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट' को सम्पर्क कर सकते है। (पैरा 6.4 के अनुरूप)

7.6 **ऋण की भुगतान वापिसी:** 6-18 महीने के आरम्भिक स्थगन काल के उपरान्त ऋण की वापिसी 5-7 वर्षों के बीच की जा सकेगी।

8. आवेदनों के प्रायोजन की प्रक्रिया

8.1 एकल तथा समूह-उद्यम के ऋण आवेदनों को स्थानीय नगर निकायों द्वारा प्रायोजित किया जायेगा जो कि एकल तथा समूह उद्यम हेतु प्रायोजक एजेंसी होंगे।

8.2 स्थानीय नगर निकाय संभावित लाभार्थियों हेतु स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) से सम्बन्धित जागरूकता अभियान चलायेंगे। इसके लिए वे वृहद प्रचार अभियानों, सूचना-शिक्षा-संचार (आईईसी) क्रियाकलापों, स्थानीय समाचार पत्र-विज्ञापनों, नगर आजीविका केन्द्रों आदि का उपयोग करेंगे। स्थानीय नगर निकाय इस घटक से सम्बन्धित सूचनाओं का प्रसार संसाधन संगठनों और इसके कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से करेंगे।

8.3 उद्यम स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के इच्छुक लाभार्थियों को एक सादे कागज पर इस आशय का आवेदन पत्र सम्बन्धित स्थानीय नगर निकाय अधिकारियों को देना होगा, जिसमें बुनियादी सूचनाएं जैसे कि नाम, आयु, सम्पर्क विवरण, पता, आधार कार्ड विवरण (यदि कोई हो), आवश्यक ऋण राशि, बैंक खाता संख्या (यदि उपलब्ध हो), उद्यम की प्रकृति/क्रिया कलाप, श्रेणी आदि उल्लिखित होनी चाहिए। आशय पत्र/मेल/डाक द्वारा भी स्थानीय नगर निकाय कार्यालयों में भेजी जा सकेंगे। स्थानीय नगर निकाय ऐसे आवेदनों को वर्ष भर स्वीकार करेंगे।

8.4 एनयूएलम के घटक 'सामाजिक संगठन तथा संस्थागत विकास' (एसएम एडं आईडी) के तहत गठित सामुदायिक ढांचे जैसे कि स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ भी संभावित एकल तथा समूह उद्यमियों का नाम एसईपी के अर्न्तगत वित्तीय सहायता हेतु स्थानीय नगर निकायों की संदर्भित कर सकेंगे।

8.5 लाभार्थियां से आशय पत्र प्राप्त होते ही संबंधित स्थानीय नगर निकाय उनकी प्रविष्टि एक रजिस्टर में अथवा एमआईएस में (यदि उपलब्ध हो तो) करेंगे और इस प्रकार लाभार्थियों की एक प्रतीक्षा सूची बनायेंगे। स्थानीय नगर निकाय लाभार्थियों को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या सहित पावती जारी करेंगे जिसका उपयोग आवेदन की स्थिति जानने हेतु किया जा सकेगा।

8.6 बैंक भी प्रात्रता मानकों के अनुरूप लाभार्थियों की पहचान कर सकेंगे और उनसे आशय पत्र ग्रहण कर सकेंगे। बैंकों द्वारा सीधे प्राप्त किये गये आवेदन पत्रों को स्थानीय नगर निकायों को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त आवेदन भी प्रतीक्षा सूची का हिस्सा होंगे।

8.7 स्थानीय नगर निकाय प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थियों को, ऋण आवेदन पत्र, क्रियाकलापों के ब्यौरे, पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण आदि दाखिल करने सहित अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ति हेतु बुलायेंगे। राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बैंकों से परामर्श करके एक ऋण आवेदन फार्म/प्रपत्र का उपयुक्त प्रारूप तैयार किया जायेगा।

8.8 सब तरीकों से पूर्ण आवेदन पत्र को स्थानीय नगर निकाय स्तर पर गठित एक टास्क फोर्स/कार्यदल के पास संवीक्षा हेतु भेजा जायेगा जो कि आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने से पूर्व लाभार्थी को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा अथवा यदि आवश्यक हो तो आवेदक को किसी अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए बुलायेगा।

8.9 कार्यदल द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित मामलों को स्थानीय नगर निकाय संबन्धित बैंकों को आगे की कार्यवाही हेतु अग्रसारित करेंगे। कार्यदल द्वारा अनुमोदित ऐसे मामलों को संबन्धित बैंक 15 दिन की समय सीमा के भीतर निपटायेंगे। चूंकि ये मामले पहले ही कार्यदल द्वारा संस्तुत हो चुके होंगे, अत: बैंकों इन्हें केवल अपवाद स्वरूप ही अस्वीकृत करना चाहिये।

8.10 बैंक आवेदनों की स्थित की आवधिक रिपोर्ट स्थानीय नगर निकायों को भेजेंगे। यदि (एमआईएस) प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग हो रहा हो तो बैंकों को अनुमति दी जानी चाहिए कि वे आवेदनों की स्थिति को ऑनलाइन अद्यतन करते रहें।

9. स्थानीय नगर निकाय स्तर पर कार्यदल:

9.1 स्थानीय नगर निकाय स्तर पर एक कार्यदल का गठन किया जायेगा जो एकल अथवा समूह-उद्यमों के मामलों का अनुमोदन कर उन्हें आगे की कार्यवाही हेतु स्थानीय नगर निकायों के माध्यम से बैंकों को प्रेषित करेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त कार्यदल का गठन करेंगे और इसके अध्यक्ष होंगे। आकार एवं जनसंख्या के आधार पर स्थानीय नगर निकाय स्तर पर एक से अधिक कार्यदल हो सकेंगे। कार्यदल का सांकेतिक गठन निम्नलिखित होगा।

तालिका सं.-1

क्र.सं.	स्थानीय नगर निकाय स्तर पर कार्यदल	भूमिका
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/नगर आयुक्त/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि	**अध्यक्ष**
2.	लीड जिला प्रबंधक	सदस्य
3.	नगर परियोजना अधिकारी, स्थानीय नगर निकाय/ स्थानीय नगर निकाय द्वारा प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि	**सदस्य संयोजक**
4.	जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	बैंकों के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक-अधिकतम 2	सदस्य
6.	क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ के 2 प्रतिनिधि	सदस्य

9.2 स्थानीय नगर निकाय आवेदन पत्रों को कार्यदल को अग्रेषित करेंगे जो इनकी संवीक्षा, अनुभव, कौशल, क्रिया-कलापों की व्यावहारिकता, गतिविधियों की गुंजाइश आदि के आधार पर करेगा। उसके बाद कार्यदल आवेदनों की चयनित सूची तैयार कर आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा।

9.3 अगर कार्यदल आवेदन को उपयुक्त पायेगा तो अनुमोदित अन्यथा अस्वीकृत कर देगा अथवा लाभार्थी से पुन: मांगी गई आवश्यक जानकारियाँ दाखिल करने को कहेगा ताकि मामले की पुन: जांच की जा सके।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ऋण गारण्टी योजना से सम्बद्धता

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारत सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारण्टी फण्ड ट्रस्ट से बैंक एसईपी के तहत जारी किये गये ऋणों हेतु गारण्टी कवर प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियों सम्बन्धी पात्रतानुसार सम्पर्क कर सकते हैं। (योजना का विस्तृत विवरण ***संलग्नक 2*** में दिया गया है) भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मई 2010 के अपने सर्कुलर में भी बैंकों को निर्देशित किया है कि वे संपार्श्विक गारण्टी के बजाय क्रेडिट गारण्टी योजना कवर लें। ***(संलग्नक 1)***

11. (एसईपी-आई) स्व-रोजगार कार्यक्रम-एकल और (एसईपी-जी) स्व-रोजगार कार्यक्रम-समूह की प्रगति रिपोर्ट

11.1 स्थानीय नगर निकाय कार्यदल द्वारा अनुमोदित आवेदनों का आंकडा-पत्रक (डाटासीट) तैयार करेंगे जिसमें सम्बन्धित बैंक से पुष्टि के पश्चात स्वीकृत संवितरित तथा अस्वीकृत (कारण सहित) आवेदन पत्रों की वस्तु स्थिति का ब्यौरा होगा। इस डाटा सीट को राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) को मासिक रूप से भेजा जायेगा।

11.2 राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) सभी सम्बंधित नगर निकायों से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर 'हूपा' मंत्रालय को मासिक रूप से भेजेंगे।

11.3 राज्य शहरी आजीविका मिशन ये सुनिश्चित करेगा कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) और जिला बैंकर्स समिति (डीबीसी) की प्रत्येक मीटिंग में एसईपी के तहत हुई प्रगति की पुनरीक्षा की जाये। एसईपी से संबधित किसी भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य शहरी आजीविका मिशन, राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक के साथ मिलकर विचार-विमर्श करेंगे ताकि प्रभावी सामंजस्य और क्रियान्वयन बना रहे।

12. उपघटक 4.3 - स्वयं सहायता समूह ऋणों पर ब्याज सब्सिडी/अनुदान

12.1 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और समय-समय पर की गई केन्द्रीय बजट घोषणाओं में स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोडने पर विशेष जोर दिया गया है। और इस सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। स्वयं सहायता समूहों के सम्बद्धता कार्यक्रम को बढ़ावा देने और स्थायी बनाने हेतु बैंकों को ये सलाह दी गई है कि वे अपनी नीति एवं क्रियान्वयन दोनां ही स्तरों पर स्वयं सहायता समूहों को ऋण देना, अपनी ऋण प्रक्रिया की मुख्य धारा का हिस्सा बनायें।

12.2 एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर के अनुसार (आरपीसीआई.एफआईडी.बीसी.नं.10/12.01.33/2013-14) दिनांक 01.07.2013 **संलग्नक-3**) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको की निर्देश दिये हैं कि वे स्वयं सहायता समूहों को बैंको से सम्बद्ध करें। इसके तहत ऐसे स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोला जायेगा (चाहे वह पंजीकृत हों या न हों) जो अपने सदस्यों के बीच प्रारम्भ से ही बचत की आदत को प्रोत्साहित कर रहे हों। तत्पश्चात बैंको द्वारा समुचित मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण किये जाने के उपरान्त स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत आधारित ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा। (बचत एवं ऋण अनुपात 1:1 से 1:4 के बीच हो सकेगा।) तथापि परिपक्व/सुस्थापित स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के विवेकानुसार बचत से चार गुना ज्यादा भी ऋण दिया जा सकेगा। आरबीआई ने ये भी निर्देश दिये हैं कि बैंकों को स्वयं सहायता समूहों को उनके संगठन के उद्देश्यों से इतर कमजोर वर्गो को ऋण देने के लिये अग्रिम धन उपलब्ध कराना चाहिये।

12.3 एनयूएलएम के घटक 'सामाजिक संघटन तथा संस्था विकास' के अर्न्तगत स्थानीय नगर निकाय स्वयं सहायता समूहों के बैंक खाते खुलवाने हेतु आवश्यक जमीनी कार्य करेंगे जो आवर्ती कोष तक उनकी पहुँच को सुगम बनायेंगे। स्थानीय नगर निकाय इस उद्देश्य के लिए संसाधन संगठनों को भी संलग्न कर सकेंगे अन्यथा सीधे अपने कर्मचारियों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को सुविधाएं उपलब्ध करवायेंगे। ***(स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा एवं गठन, संसाधन संगठनों और आवर्ती कोष के संबंध में विस्तृत विवरण एसएम एडं आईडी के दिशा-निर्देशों में दिये गये हैं।)***

12.4 शहरी गरीबों की पहुँच उचित ब्याज दरों वाले ऋणों तक बनाने के दृष्टिकोण से एनयूएलएम बैंको से ऋण लेने वाले स्वयं सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगा। ब्याज सब्सिडी शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों द्वारा लिए गये सभी ऋणों पर उपलब्ध होगी जो कि बैंक द्वारा ली जानी वाली चालू ब्याज दर एवं 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के अन्तर के बराबर होगी। स्वयं सहायता समूह-ऋण पर इन ब्याज दरों के अन्तर की प्रतिपूर्ति सीधे बैंको को की जायेगी।

12.5 **3 प्रतिशत** की अतिरिक्त सब्सिडी ऐसे समस्त **महिला स्वयं सहायता समूहों** को उपलब्ध करायी जायेगी जो अपने ऋण का भुगतान समय से करेंगे। ब्याज सब्सिडी, जैसे कि पैरा 4 में बताया गया है ऋण के समय से भुगतान और उसकी समाप्ति पर बैंक से इस सम्बंध में स्थानीय नगर निकायों द्वारा प्राप्त प्रमाणपत्र के अधीन होगी। 3 प्रतिशत की इस अतिरिक्त राशि को सीधे पात्र महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जायेगा। बैंकों को सभी पात्र डब्ल्यूएसएचजी लेखाओं में 3 प्रतिशत ब्याज सहायता राशि क्रेडिट करनी चाहिए और इसके बाद प्रतिपूर्ति की मांग करें।

12.6 स्थानीय नगर निकाय अपने जमीनी कार्यकर्ताओं या संसाधन संगठनों के माध्यम से पात्र स्वयं सहायता समूहों को ऋण आवेदन पत्र दाखिल करने में सुविधा प्रदान करेंगे ताकि वे बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकें। स्थानीय नगर निकाय ही ऋण आवेदन पत्र को आपेक्षित दस्तावेजों सहित सम्बंधित बैंकों तक पहुँचाने के उत्तरदायी होंगे। स्थानीय नगर निकाय क्षेत्रवार, बैंकवार, संसाधन संगठन/ कर्मचारी वार, बैंक्रो को भेजे गये स्वयं सहायता समूहों के ऋण आवेदन पत्रों के आंकडो़ का अनुरक्षण करेंगे। यही डाटा (आंकडे) मासिक रूप से एसयूएलएम को भेजे जायेंगे।

12.7 बैंक वितरित ऋण मामलों का विस्तृत ब्यौरा अनुदानित ब्याज राशि की गणना सहित स्थानीय नगर निकायों को भेजेंगे। स्थानीय नगर निकाय पैरा 5 में उल्लिखित ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए अपने स्तर पर आंकड़ों का निरीक्षण करेंगे और अनुदानित ब्याज राशि त्रैमासिक आधार पर बैंको को जारी करेंगे। अतिरिक्त ब्याज सहायता राशि का दावा करने के लिए निर्धारित प्रपत्र **संलग्नक-6** में हैं।

12.8 एनयूएलएम के तहत प्रभावी एसएचजी बैंक-सम्पर्कों की सुनिश्चितता हेतु राज्य शहरी आजीविका मिशन नियमित रूप से बैंकों के साथ मिलकर प्रगति की निगरानी एवं पुनरीक्षण करेंगे और राज्य में स्वयं सहायता समूह ऋणों पर ब्याज सब्सिडी हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। शहरी गरीबों के वित्तीय समावेशन के प्रति बैंकों एवं शाखा कर्मियों को संवेदनशील बनाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा लीड बैंक को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी।

12.9 यह ध्यान देना आवश्यक है कि एसएचजी जिन्होंने ब्याज आर्थिक सहायता प्राप्त की है कि पहचान, चयन, गठन एवं निगरानी राज्यों/यूएलबी की जिम्मेदारी पर होगी एवं बैंक, एसएचजी जो ब्याज आर्थिक सहायता पाई है कि गलत पहचान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

12.10 शीर्ष (तत्काल) भुगतान वापसी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश निम्नानुसार है:–

क) स्वयं सहायता समूह को नकद ऋण सीमा हेतु:

(i) बकाया राशि लगातार 30 दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत सीमा/आहरण क्षमता से अधिक न रह रहा हो।

(ii) खाते में नियमित ऋण एवं जमा होता रहे। किसी भी स्थिति में माह के दौरान कम से कम एक ग्राहक को ऋण लेने हेतु प्रेरित करना।

(iii) माह में ऋण लेने के लिए प्रेरित किए गए ग्राहक द्वारा माह के दौरान जमा राशि ब्याज की प्राप्ति हेतु पर्याप्त होगी।

(ख) स्वयं सहायता समूह: को सावधि ऋण के संपूर्ण अवधि के दौरान नियत तिथि के **30 दिनों** के भीतर ऐसे सवधि ऋण खाता जिसके मूलधन के सभी ब्याज भुगतान तथा/किश्तों को चुकता कर दिया गया हो ऐसे सवधि ऋण खाते शीघ्र भुगतान वाले खाते माने जाएंगे।

शीघ्र भुगतान दिशा–निर्देश के विषय पर रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के द्वारा आगे भी मार्गदर्शित की जाएगी।

13. उपघटक 4.4– उद्यम विकास हेतु क्रेडिट कार्ड

13.1 एनयूएलएम के अर्न्तगत उद्यम स्थापना हेतु अनुदानित ऋण के माध्यम से एकल उद्यमी की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने को, शहरी गरीबों को आजीविका के लिए मिलने वाले प्राथमिक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाना चाहिए। तथापि उद्यम की आर्थिक स्थिरता के लिये एकल उद्यमी को आगे भी कार्यशील पूंजी के रूप में वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। इसके तहत तात्कालिक एवं अल्पावधि के लिए मासिक नगद की जरूरत होती है ताकि सामानों, कच्चे पदार्थ एवं अन्य फुटकर खर्चों आदि की पूर्ति की जा सके। सूक्ष्म–उद्यमी के पास उद्यम सम्बंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले खर्चों से निपटने के लिए कोई नियमित तयशुदा मासिक आय नहीं होती है और इस तात्कालिक ऋण की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क करने पर प्रक्रियात्मक दस्तावेजों और बहुत से समय की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में इस कार्यशील पूँजी की आवश्यकता पूर्ति सामान्यत: अनौपचारिक माध्यम से ऋण लेकर की जाती है जो विशेष रूप से उच्च ब्याज दरों पर उपलब्ध होता है।

13.2 सूक्ष्म उद्यमियों की कार्यशील पूँजी एवं अन्य फुटकर खर्चों की जरूरतों को पूरा करने हेतु ही एनयूएलएम बैंकों के माध्यम से उन्हें क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवायेगा।

13.3 राज्य शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से परामर्श करके एकल उद्यमियों हेतु क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के मानकों, सीमा एवं निर्देशों का निर्धारण करेंगे। सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना जो कि सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंको द्वारा चलायी जा रही है अथवा उद्यम विकास हेतु बैंकों द्वारा शहरी क्षेत्र में दिये जा रहे अन्य विभिन्न प्रकार के क्रेडिट कार्डों के समान ही ऐसे क्रेडिट कार्ड एनयूएलएम और एसएलबीसी द्वारा खोजे जा सकते हैं। (जीसीसी) सामान्य क्रेडिट कार्ड के योजना का विस्तृत विवरण संलग्नक-4 में दिया गया है।

13.4 स्थानीय नगर निकाय, संभावित लाभार्थियों का चयन करेंगे और क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने हेतु इन्हें बैंकों से सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। प्रारम्भिक तौर पर ऐसे समस्त लाभार्थियों को कवर किये जाने का लक्ष्य है जिन्हें स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी हो। इसके अतिरिक्त उन लाभार्थियों को इसके तहत कवर किया जा सकता है, जो अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं किन्तु जिन्होंने एसईपी के तहत सहायता न ली हो और जो क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के मानकों से संतुष्ट हों।

13.5 इसके लिए लक्ष्य का निर्धारण स्थनीय नगर निकाय स्तर पर किया जायेगा और इस घटक के तहत प्रगति का संकलन राज्य शहरी आजीविका मिशन के स्तर पर किया जायेगा जिसे आगे 'हूपा' मंत्रालय को संप्रेषित किया जायेगा।

14. उपघटक 4.5-प्रौद्योगिकी, विपणन एवं अन्य सहयोग

14.1 सूक्ष्म उद्यमियों को अपने व्यापारों को बढ़ाने तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए अक्सर सहायता की जरूरत होती है। सहायता की ये आवश्यकता, स्थापना हेतु, तकनीकी हेतु, विपणन तथा अन्य सेवाओं के लिए हो सकती है। सूक्ष्म उद्यमियों को, जो बहुत छोटे व्यापारों को चला रहे हैं सदैव बाजार आवश्यकताओं, स्व-उत्पादित उत्पादों की मांग, मूल्य एवं विक्रय स्थानों आदि के सम्बंध में बेहतर समझ प्राप्त करने की आवश्यकता बनी रहती है। इस घटक के तहत प्रदान की जाने वाली सहयोगी सेवाएं ये ध्यान में रखकर उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि इनसे सूक्ष्म उद्यमों के विकास हेतु एक प्रोत्साहक परिवेश का निर्माण हो।

14.2 नगर आजीविका केन्द्रों द्वारा सूक्ष्म उद्यमों को उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित सेवाओं में स्थापना हेतु लाइसेंस, प्रमाणतत्र पंजीकरण, विविध सेवाएं आदि और दीर्घाकालीक स्थायित्व हेतु उत्पादन, प्रबंधन, तकनीकी, प्रसंकरण, विपणन, विक्रय, संवेष्टन (पैकेजिंग), लेखाकर्म आदि शामिल हो सकते हैं। नगर आजीविका केन्द्र सूक्ष्म उद्यमों की सेवाओं एवं उत्पादों हेतु बाजार मांग के लिए संभाव्यता अध्ययन और बाजार रणनीति संबंधी सहायता भी उपलब्ध करायेंगे।

14.3 स्वरोजगार कार्यक्रम के समस्त एकल और समूह उद्यम नगर आजीविका केन्द्रों के मानकों के अनुरूप और उनकी सेवाएं का लाभ उठा सकेंगे। नगर आजीविका केन्द्र, स्थानीय नगर निकायों के सहयोग से संभावित लाभार्थियों के हितार्थ सूक्ष्म उद्यमों के विकास को प्रोत्साहन देने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ भी गठजोड कर सकेंगे।

14.4 राज्य शहरी आजीविका मिशन उपर्युक्त सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगर आजीविका केन्द्रों को अतिरिक्त कोष/पेशेवर मुहैया करायेंगे।

15. वित्त पोषण प्रारूप

15.1 इस घटक के अंतर्गत वित्त पोषण केन्द्र तथा राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटी जाएंगी। विशेष वर्ग के राज्य (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) के मामले में केन्द्र व राज्य के बीच यह अनुपात 90:10 का होगा।

15.2 मंत्रालय राज्यों को नियम लक्ष्यों पर आधारित वार्षिक आधार पर राज्यों को वित्त-पोषण आबंटित करेगा। राज्य संबंधित एसएलबीसी तथा यूएलबी से परामर्श कर लक्ष्य तय करेगा तथा तदनुरूप निधि यूएलबी आबंटित की जाएगी ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज संबंधी सहायता के कारण बैंको को पूर्ण प्रतिपूर्ति समायोजित की जाएगी तथा वित्तीय सहायता राज्यों के साथ बाकी (अतिदेय) अथवा लंबित न हो।

16. निगरानी तथा मूल्यांकन

16.1 रिपोर्टिंग और मूल्यांकन शुरू करने के लिए राज्य स्तर पर एसएमएसयू तथा यूएलबी स्तर पर सीएमएमयू इस घटक के अंतर्गत गतिविधियों/लक्ष्यों की प्रगति की करीब से निगरानी करेंगे। एसयूएलएम तथा यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसियां मासिक तथा तिमाही के अंत तक की संचयी उपलब्धि और क्रियान्वयन के मुख्य मामलों को दर्शाती सामायिक प्रगति के संबंध में समय-समय पर मिशन निदेशालय को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट करेगी।

16.2 इसके अतिरिक्त एनयूएलएम के अंतर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की ट्रैंकिग हेतु एक व्यापक तथा मजबूत आईटी आधारित एनयूएलएम एमआईएएस स्थापित की जाएगी। राज्यों तथा यूएलबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी तथा इसका प्रयोग ग्राउन्ड स्तर पर प्रगति की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। एनयूएलएम के अंतर्गत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण तथा पारदिर्शता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एसईपी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति रिपोर्ट सामयिक आधार पर सार्वजनिक भी की जाएंगी।

संलग्नक-1

आरबीआई/2009-10/449/आरपीसीडी एसएमइ एडं एनएफएस. बीसी.सं. 79/06.02.31/2009-10, 6 मई 2010

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित)

महोदय,

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) हेतु ऋण गारंटी योजना की समीक्षा करने के लिए कार्य-दल - एमएसई को संपार्श्विक रहित ऋण

जैसाकि आपको ज्ञात है, माइक्रो और लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) की समीक्षा करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक कार्य-दल (अध्यक्ष: श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक) गठित किया गया था। कार्य-दल की रिपोर्ट का विमोचन 6 मार्च 2010 को किया गया जो हमारी वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध है। कार्य-दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि-

'एमएसई क्षेत्र को संपार्श्विक रहित ऋण सीमा को 5 लाख रूपये से 10 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए तथा बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया जाए। उसके बदले बैंक सीजीएस के अंतर्गत संपार्श्विक सुविधाओं के लिए कवर ले सकते हैं। सीजीएस को बढ़ाने के उद्देश्य से योजना की प्रमुख विशेषताएं तथा लाभों के बारे में व्यापक जागरुकता निर्मित करना आवश्यक है। चूंकि शाखा स्तर के पदाधिकारियों को संपार्श्विक के बदले उधार देने में अभिरूचि होती है, कार्य-दल यह सिफारिश करता है कि बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु शाखा स्तर के पदाधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करने का पूर्ण रूप से स्वामित्व ग्रहण कर लें तथा इसमें उनके फील्ड स्टाफ का मूल्यांकन करने में इससे संबंधित कार्य-निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल करें।'

1. उपर्युक्त सिफारिशें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। तदनुसार, दिनांक 24 अगस्त 2009 के हमारे परिपत्र आरपीसीडी, एसएमई एंड एनएफएस.बीसी.सं. 16/06.02.31(पी)/2009-10 में संशोधन करते हुए बैंकों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र की इकाइयों को प्रदान 10 लाख रुपये तक के ऋण के मामालों में संपार्श्विक जमानत स्वीकार न करें।

2. बैंक अपनी शाखा स्तर के पदाधिकारियासें को सीजीएस कवर का उपभोग करने हेतु प्रभावशाली ढंग से प्रोत्साहित करें जिसमें उनके फील्ड स्टाफ के मूल्यांकन में इससे संबंधित कार्य–निष्पादन को एक मानदंड बनाना शामिल हो।

3. कृपया आप इस संबंध में अतिसावधानीपूर्वक और कड़े अनुपालन हेतु अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को उचित अनुदेश जारी करें।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(आर.सी.षडंगी)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक-2

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना

परिचय :

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को कोलेटरल-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएमएसई) प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्यमान तथा नए उद्यमी, दोनों पात्र हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना को कार्यान्वित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) नामक एक ट्रस्ट स्थापित की है। यह स्कीम औपचारिक तौर पर 30 अगस्त, 2000 को प्रारंभ की गई थी तथा यह 1 जनवरी, 2000 से प्रभावी है। सीजीटीएमएसई के कॉर्पस में सरकार तथा सिडबी क्रमश: 4:1 के अनुपात में योगदान दे रही है तथा 31 मार्च, 2010 तक इस ट्रस्ट के कॉर्पस में 1906.55 करोड़ रुपये का योगदान दिया जा चुका है। जैसा कि एमएसई के लिए पैकेज में घोषणा की गई थी, 11वीं योजना के अंत तक इस कॉर्पस में 2500 करोड़ रुपये जुटाने हैं।

पात्र ऋणदाता संस्थान

इस स्कीम के तहत पात्र संस्थानों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/निजी क्षेत्र के बैंक/विदेशी बैंक) तथा चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (जिन्हें नाबार्ड द्वारा संवहनीय व्यवहार्य श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है पात्र हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफसी) तथा सिडबी को भी पात्र संस्थान बनाया गया है। 31 मार्च 2010 तक इस ट्रस्ट (एमएलआई) के रूप में 112 पात्र ऋणदाता संस्थान पंजीकृत थे जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक निजी क्षेत्र के 16 बैंक 61 क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक 2 विदेशी बैंक तथा 6 अन्य संस्थान नामत: एनएसआईसी, एनईडीएफआई, और सिडबी और तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम(टीएनआईआईसी) शामिल हैं।

पात्रता क्रेडिट सुविधा

इस स्कीम के तहत कवर की जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं में प्रति ऋण प्राप्तकर्ता यूनिट में आवधिक ऋण तथा कार्यशील पूंजी सुविधा, दोनों के लिए 100 लाख रुपये तक प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, जिसे बिना किसी कोलेटरल सिक्यूरिटी अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी के नये अथवा विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक बढ़ाया गया है। गारंटी स्कीम के तहत कवर की जाने वाली उन यूनिटों के लिए जो प्रबंधन के नियंत्रण के बाहर के कारणों से रूग्ण हो जाती है, उनके लिए भी ऋणदाता द्वारा दी जा रही पुनर्वास सहायता को भी गारंटी स्कीम के तहत कवर किया जा सकता है। यह ध्यान

देने योग्य है कि यदि ऋण की सुविधा 50 लाख रुपये से अधिक होती है तो इसे भी इस स्कीम के तहत कवर किया जा सकता है किन्तु गारंटी कवर केवल 50 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधा के लिए होगा। इस स्कीम के तहत अन्य महत्वपूर्ण अपेक्षा यह है कि ऋण प्राप्तकर्ता यूनिट को एकल ऋणदाता संस्थान से ही क्रेडिट सुविधा लेनी चाहिए। हालॉकि राज्य स्तरीय संस्थानों/एनएसआईसी/एनईडीएफसी द्वारा पहले ही सहायता प्राप्त कर चुकी यूनिटों को इस स्कीम के तहत शामिल किया जा सकता है जिससे उन्हें सदस्य बैंकों से क्रेडिट सुविधा उपलब्ध हो सके, बशर्ते वे अन्यथा पात्र हों। सरकार अथवा अन्य एजेंसी द्वारा संचालित किसी अन्य स्कीम के तहत अतिरिक्त जोखिम कवर वाली कोई भी क्रेडिट सुविधा इस स्कीम के तहत कवरेज के लिए पात्र नहीं होगी।

गारंटी कवर

इस स्कीम के तहत उपलब्ध गारंटी कवर क्रेडिट सुविधा की स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत तक है। गारंटी कवर की सीमा 80 प्रतिशत है (i) 5 लाख रुपये तक के ऋण लेने वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए; (ii) महिलाओं द्वारा संचालित और/अथवा उनके स्वामित्व वाले एमएसई के लिए तथा (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी ऋणों के लिए। भुगतान न होने की स्थिति में, ऋणदाता संस्थान द्वारा दी गई क्रेडिट सुविधा की भुगतान न गई (डिफाल्टर) राशि के 75 प्रतिशत तक (अथवा 80 प्रतिशत जहाँ कहीं लागू हो) के दावे का निपटान ट्रस्ट करता है। इस प्रयोजन के लिए आवधिक ऋण के संबंध में, भुगतान न की गई राशि को तथा अनुत्पादक परिसम्पत्तियों (एनपीए) में परिवर्तित को बकाया कार्यशील पूंजीगत सुविधाओं की राशि सहित ब्याज को उधार लेने वाले के खाते में बकाया पड़े मूलधन के रूप में गिना जाता है।

गारंटी की अवधि

इस स्कीम के तहत गारंटी कवर आवधिक ऋण/मिश्रित क्रेडिट की सहमत अवधि है। कार्यशील पूंजी के संबंध में, गारंटी कवर 5 वर्ष अथवा 5 वर्षों के ब्लॉक के लिए है।

गारंटी शुल्क

इस स्कीम के तहत ट्रस्ट को देय शुल्क स्वीकृत क्रेडिट सुविधाओं का एक-बारगी 1.5 प्रतिशत का गारंटी शुल्क तथा 0.75 प्रतिशत का वार्षिक सेवा शुल्क है। 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए, एक बारगी गारंटी शुल्क तथा वार्षिक सेवा शुल्क क्रमश: 1 प्रतिशत तथा 0.5 प्रतिशत है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण के लिए एक बारगी गारंटी शुल्क केवल 0.75 प्रतिशत है।

वेबसाइट

सीजीटीएमएसई का संचालन इंटरनेट के माध्यम से होता है। सीजीटीएमएसई की वेबसाइट www.cgtsi.org है।

स्कीम जागरूकता कार्यक्रम

सीजीटीएमएसई ने बैंकों, एमएसई संघों उद्यमियों आदि के बीच अपनी गारंटी स्कीम के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से, कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करके, जिला/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लेकर बहु-चैनल अप्रोच अपनाई है। क्रेडिट गारंटी स्कीम पर 31 मार्च, 2010 तक 1080 कार्यशालाएं तथा सेमिनार आयोजित किए गए थे। सीजीटीएमएसई ने भी भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्य सरकारी कार्यालयों द्वारा आयोजित 19 प्रदर्शनियों में तथा 304 एसएलबीसी/बैंकों में भाग लिया। इस स्कीम के संवर्धन तथा इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए बैंकों, उद्योग संघों तथा अन्य हितधारियों को पोस्टर तथा मेल परिचालित किए गए। एमएलआई को उनके प्रशिक्षण कालेजों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, इस स्कीम की परिचालनात्मक मोडेलिटिज दर्शाने वाली मल्टी-मीडिया सीडी-आरओएम, एमएलआई के कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्रों/कालेजों में वितरित किए गए। ट्रस्ट ने हाल ही में डीएवीपी के माध्यम से देशभर के 194 समाचार पत्रों में इस अभियान का विज्ञापन दिया है जिससे लक्षित समूह में इस स्कीम के प्रति काफी जागरूकता उत्पन्न हुई है।

संलग्नक-3

आरपीसीडी. एफआईडी.बीसी.सं. 10/12.01.033/2013-14 01 जुलाई 2013

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय,

स्वयं सहायता समूह बैंक संबद्धता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों को स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के संबंध में अनेक दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को सभी अद्यतन अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से विद्यमान दिशा-निर्देशों/अनुदेशों को समाहित करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो इसके साथ संलग्न है। इस मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट में दिए गए अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जून 2013 तक उक्त विषय पर जारी सभी परिपत्र समेकित एवं अद्यतन किए गए है।

भवदीय
(ए. उदगाता)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त

स्वयं सहायता समूह - बैंक संबद्धता कार्यक्रम पर मास्टर परिपत्र

1. देश में औपचारिक ऋण प्रक्रिया का तेजी से विस्तार होने के बावजूद, बहुत से क्षेत्रों में, विशेष रूप से आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गरीब ग्रामीणों की निर्भरता किसी तरह साहूकारों पर ही थी। ऐसी निर्भरता सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और जनजातियों के सीमान्त किसानों, भूमिहीन

मजदूरों, छोटे व्यवसायियों और ग्रामीण कारीगरों में देखने को मिलती थी जिनकी बचत की राशि इतनी सीमित होती है कि बैंकों द्वारा उसे इक्टठा नहीं किया जा सकता। कई कारणों से इस वर्ग को दिए जाने वाले ऋण को संस्थागत नहीं किया जा सका है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा बनाए गए अनौपचारिक समूहों पर नाबार्ड, एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय ऋण संघ (एप्राका) और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ एल ओ) द्वारा किए गए अध्ययनों से यह बात सामने आई है कि स्वयं सहायता बचत और ऋण समूहों में औपचारिक बैंकिंग ढांचे और ग्रामीण गरीबों को आपसी लाभ के लिए एकसाथ लाने की संभाव्यता है तथा उनका कार्य उत्साहजनक था।

2. तदनुसार, नाबार्ड ने गैर-सरकारी संगठनों, बैंकों और अन्य एजेंसिंयों द्वारा प्रवर्तित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की तथा उसे पुनर्वित्त पोषण का समर्थन प्रदान किया गया। नाबार्ड द्वारा कुछ राज्यों में परियोजना सहलग्नता के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में किए गए त्वरित अध्ययन से प्रोत्साहनपूर्ण तथा सकारात्मक विशेषताएं सामने आई हैं यथा स्वयं सहायता समूहों के ऋण की मात्रा में वृद्धि, सदस्यों के ऋण ढांचे में, आय न होने वाली गतिविधियों से उत्पादक गतिविधियों में परिवर्तन, लगभग 100 प्रतिशत वसूली कार्यनिष्पादन, बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों के लिए लेन-देन लागत में भारी कटौती इत्यादि के साथ-साथ स्वयं सहायता समूह सदस्यों के आय स्तर में क्रमिक वृद्धि। सहलग्नता परियोजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बैंकों से सहलग्न 85 प्रतिशत के लगभग समूह केवल महिलाओं के ही थे।

3. स्वयं सहायता समूहों और गैर संगठनों की कार्यप्रणाली के अध्ययन के विचार से ग्रामीण क्षेत्र में उनकी भूमिका के विस्तार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री. एस. के. कालिया नाबार्ड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में नवबंर 1994 में एक कार्यदल का गठन किया जिसमें प्रमुख गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता, शिक्षाविद् परामर्शदाता और बैंकर थे। कार्यदल का विचार था कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से अब तक अछूते ग्रामीण गरीब लोगों को ऋण उपलब्ध कराने की स्थिति में सुधार के लिए एसएचजी को बैंकों से सहलग्न करना एक लागत प्रभावी, पारदर्शी और लचीला उपाय है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वसूली तथा बारंबार अंतराल पर छोटे उधारकर्ताओं के साथ लेन-देन में उच्च लेन-देन लागत की बैंकों की दोहरी समस्या का अति आवश्यक समाधान प्रदान की जाने की आशा है। अत: कार्यदल को ऐसा महसूस हुआ कि नीति का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा बैंकों से उनकी सहलग्नता को प्रोत्साहित करना है और इस संबंध में बैंकों को मुख्य भूमिका निभानी होगी। कार्यदल ने सिफारिश की थी कि बैंकों को सहलग्नता कार्यक्रम को एक कारोबारी अवसर के रूप में लेना चाहिए तथा वे अन्य बातों के साथ-साथ संभाव्यता, स्थानीय आवश्यकताओं, उपलब्ध प्रतिभा / कौशल आदि को ध्यान में रखकर क्षेत्र-विशिष्ट और समूह - विशिष्ट ऋण पैकेज बनाएं।

4. रिज़र्व बैंक ने माइक्रो-वित्त वितरण संबंधी विभिन्न मामलों की जांच करने हेतु अक्तूबर 2002 में चार अनौपचारिक समूह गठित किए थे। समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति तथा केंद्र की बजट घोषणाओं में बैंकों के साथ एसएचजी की सहलग्नता पर जोर दिया गया है तथा इस संबंध में बैंकों को विभिन्न

दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। एसएचजी सहलग्नता कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा उसे कायम रखने हेतु बैंकों को सूचित किया गया कि वे नीति और कार्यान्वयन दोनों स्तर पर एसएचजी उधार देने को अपनी मुख्य धारा के ऋण परिचालनों का एक भाग ही मानें। एसएचजी सहलग्नता को वे अपनी कोर्पोरेट कार्यनीति/योजना, अपने अधिकारियों और स्टाफ के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल करें तथा इसे एक नियमित व्यवसाय गतिविधि के रूप में लागू करें और आवधिक रूप से उसकी निगरानी और समीक्षा करें।

5. **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत एक पृथक खंड:** बैंक स्वयं सहायता समूह को दिए अपने उधारों की सूचना बिना किसी कठिनाई के दे सकें, अत: यह निर्णय लिया गया कि बैंक स्वयं सहायता समूहों/स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को नए खंड, नामत: 'स्वयं सहायता समूहों को अग्रिम' के अंतर्गत, चाहे स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिए गए ऋण का प्रयोजन कुछ भी हो, आगे ऋण देने के लिए स्वयं सहायता समूहों और/या गैर सरकारी एजेंसियों को दिए गए अपने ऋणों की सूचना दें। स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों को बैंक कमशोर वर्गों को दिए गए अपने ऋण के एक भाग के रूप में शामिल करें।

6. **बचत बैंक खाता खोलना:** पंजीकृत और अपंजीकृत स्वयं सहायता समूह जो अपने सदस्यों की बचत आदतों को बढ़ाने के कार्य में संलग्न हैं, बैंकों के साथ बचत खाते खोलने के पात्र हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इन स्वयं सहायता समूहों ने बचत बैंक खाते खोलने से पहले बैंकों की ऋण सुविधा का उपयोग किया हो। चूंकि सभी पदधारियों का केवाईसी सत्यापन पर्याप्त है, अत: एसएचजी के बचत बैंक खाते खोलते समय एसएचजी के सभी सदस्यों का केवाइसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि बचत बैंक खाता खोलते समय केवाइसी का पहले ही सत्यापन किया जा चुका होगा और उक्त खाता परिचालन में जारी रखना होगा और उसे ऋण सहलग्नता के लिए प्रयोग में लाया जा रहा होगा, अत: एसएचजी को ऋण सहलग्नता प्रदान करते समय सदस्यों अथवा पदधारियों का अलग से केवाइसी सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है।

7. **एसएचजी उधारियाँ आयोजना प्रक्रिया का भाग हों:** एसएचजी को बैंकों द्वारा दिए गए उधारों को प्रत्येक बैंक की शाखा ऋण योजना, ब्लॉक ऋण योजना, जिला ऋण योजना और राज्य ऋण योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जब एसएचजी बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा रहा हो तो इन योजनाओं को तैयार करने में इस क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसे बैंक की कोर्पोरेट ऋण योजना का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए।

8. **मार्जिन और प्रतिभूति मानदण्ड:** नाबार्ड के परिचालनगत दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से बचत सहलग्न ऋण स्वीकृत किया जाता है (यह बचत और ऋण अनुपात 1:1 से 1:4 तक भिन्न-भिन्न होता है)। अनुभव यह दर्शाता है कि समूह के महत्व और दबाव से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से अत्यधिक वसूली हुई है। बैंकों को सूचित किया गया कि बैंकों को मार्जिन, प्रतिभूति मानदण्डों इत्यादि के संबंध में दी गई लचीलेपन की अनुमति के अन्तर्गत ये प्रायोगिक परियोजनाएं इस प्रायोगिक चरण के बाद भी सहलग्नता कार्यक्रम के अन्तर्गत बनी रहेंगी।

9. **दस्तावेजीकरण:** एक ऐसी आसान प्रणाली, जिसमें न्यूनतम क्रियाविधि और दस्तावेजीकरण की अपेक्षा हो, एसएचजी को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने की पूर्व शर्त है। उधारों के स्वरूप और उधारकर्ता के स्तर को ध्यान में रखते हुए बैंकों को अपने शाखा प्रबंधकों को पर्याप्त मंजूरी अधिकार प्रदान करके ऋण शीघ्र स्वीकृत और संवितरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए तथा परिचालनगत सभी व्यवधानों को दूर करना चाहिए। ऋण आवेदन फार्मों, प्रक्रिया और दस्तावेजों को आसान बनाना चाहिए। इससे शीघ्र और सुविधाजनक रूप से ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

10. **स्वयं सहायता समूहों में चूककर्ताओं की उपस्थिति:** स्वयं सहायता समूहों के कुछ सदस्यों तथा/अथवा उनके परिवारों द्वारा बैंक वित्त के प्रति चूक को सामान्यतया स्वयं सहायता समूह के आड़े नहीं आना चाहिए, बशर्ते कि स्वयं सहायता समूह ने चूक न की हो। तथापि, स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक ऋण का उपयोग बैंक के चूककर्ता सदस्य को देने के लिए न किया जाए।

11. **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण:** सहलग्नता कार्यक्रम में आधार स्तर के पदाधिकारियों और बैंक के नियंत्रक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सुग्राहीकरण एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आधार स्तर और नियंत्रक कार्यालय स्तर पर बैंक अधिकारियों/स्टाफ की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बैंक स्वयं सहायता समूहों की सहलग्नता परियोजना के आन्तरिककरण के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं तथा आधार स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए अल्पावधि कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। साथ ही, उनके मध्यम स्तर के नियंत्रक अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए उचित जागरूकता/सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं।

12. **स्वयं सहायता समूह उधार की निगरानी और समीक्षा:** स्वयं सहायता समूहों की संभाव्यता और स्वयं सहायता समूहों को उधार देने के संबंध में बैंक शाखाओं को जानकारी न होने के मद्देनजर बैंकों को विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से प्रगति की निगरानी करनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराने के लिए चल रहे स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों को जनवरी 2004 में सूचित किया गया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में स्वयं सहायता समूह बैंक सहलग्नता कार्यक्रम की निगरानी को कार्यसूची की एक मद के रूप में नियमित रूप से रखा जाना चाहिए। इसकी समीक्षा तिमाही आधार पर उच्चत्तम कोर्पोरेट स्तर पर की जानी चाहिए। साथ ही, बैंकों द्वारा नियमित अन्तराल पर कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाए। प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त छमाही आधार पर नाबार्ड (एम.सी.आइ.डी.), मुम्बई को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए ताकि वह संबंधित रिपोर्ट की छमाही के 30 दिन के भीतर पहुंच जाए।

13. **एसएचजी संबद्धता को प्रोत्साहित करना:** बैंकों को अपनी शाखाओं को स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित करने और उनके साथ सहलग्नता स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि प्रक्रिया बिलकुल सरल हो तथा स्थानीय स्थिति से मेल खाने वाली ऐसी प्रक्रिया में पर्याप्त लचीलापन हो स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली की सामूहिक प्रगति उन पर ही छोड़ दी जाए और न उन्हें विनियमित किया

जाए और न ही उन पर औपचारिक ढांचा थोपा जाए। स्वयं सहायता समूहों का वित्तपोषण दृष्टिकोण बिल्कुल बाधारहित होना चाहिए तथा उनमें उपभोग व्यय भी सम्मिलित किया जाए।

14. **ब्याज दरें:** बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों/सदस्य हिताधिकारियों को दिए गए ऋणों पर लागू होने वाली ब्याज दरें उनके विवेकाधिकार पर छोड़ दी जानी चाहिए।

15. **स्वयं सहायता समूहों का कुल वित्तीय समावेशन और ऋण आवश्यकता:** बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वर्ष 2008–09 के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित केंद्रीय बजट के पैरा 93 में की गई परिकल्पना के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करें जिसमें निम्नानुसार कहा गया था : *'बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कुछेक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नक्शे कदम पर चलने और स्वयं-सहायता समूह के सदस्यों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताएं अर्थात (क) आय उपार्जक क्रियाकलाप, (ख) सामाजिक आवश्यकताएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह आदि, और (ग) ऋण अदला-बदली (स्वैप) की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करेगी।'*

संलग्नक-4

आरबीआई/2013-14/389
आरपीसीडी. एमएसएमई एण्ड एनएफएस. बीसी. सं. 61/06.02.31/ 2013-14, 2 दिसंबर 2013

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

महोदय/महोदया,

संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना

1. कृपया आप सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) योजना पर 27 दिसंबर 2005 और 6 मई 2008 के हमारे परिपत्र क्रमश: आरपीसीडी. सीओ. सं. आरआरबी. बीसी. 59/03.05.33 (एफ)/2005-06 और आरपीसीडी. सीओ. प्लान. बी.सी. सं. 66/04.09.01/2007-08 देखें।

2. मई जुलाई 2013 के दौरान बैंकों के साथ हुई वित्तीय समावेशन प्लान (एफआइपी) समीक्षा बैठकों के दौरान यह देखा गया कि बैंकों द्वारा जीसीसी के अंतर्गत सूचित डाटा में व्यक्तियों को दिया गया उद्यमी ऋण दर्शाया नहीं जा रहा है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी समग्र दिशा-निर्देशों के भीतर समस्त उत्पादक गतिविधियों के लिए अधिकाधिक क्रेडिट सहबद्धता सुनिश्चित करने हेतु जीसीसी की व्याप्ति को बढ़ाने और बैंकों द्वारा गैर कृषि उद्यमी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों को दिए जाने वाले समस्त ऋण की जानकारी पाने की दृष्टि से जीसीसी दिशा-निर्देश संशोधित किए जा रहे हैं। संशोधित योजना अनुबंध में दी गई है।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मौजूदा अन्य क्रेडिट कार्ड (उदाहरण के लिए काश्तकार क्रेडिट कार्ड, लघु उद्यमी कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और बुनकर कार्ड आदि) जिसके द्वारा व्यक्तियों की गैर कृषि उद्यमी क्रेडिट आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती हो को वित्तीय समावेशन प्लान (एफआइपी) के अंतर्गत सामान्य क्रेडिट कार्डों के माध्यम से दिए गए क्रेडिट की रिपोर्टिंग में शामिल किया जाना चाहिए। चूंकि जीसीसी का उद्देश्य समस्त उद्यमी ऋण को शामिल करना है, अत: व्यक्तियों को दिए जाने वाले खपत ऋण की रिपोर्टिंग जीसीसी के अंतर्गत न की जाए।

4. जीसीसी कार्ड जारी करने से बैंकों पर अपने ग्राहकों को उनकी उपभोक्ता जरुरतों के लिए किसी अन्य प्रकार का कार्ड जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बैंकों द्वारा दिये जानेवाले खपत ऋण की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एफआईपी रिपोर्टिंग फार्मेट में ओवरड्राफ्ट/खपत ऋण शीर्ष के अंतर्गत अलग से की जानी है।

5. ये दिशा-निर्देश दिसंबर 2005 और मई 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी जीसीसी दिशा-निर्देशों के स्थान पर होंगे। उक्त संशोधन व्यक्तियों, विशेष रूप से छोटे साधन वाले (स्माल मीन्स) ऋणकर्ताओं को अधिकाधिक उद्यमी ऋण प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

6. सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उक्त संशोधित सामान्य क्रेडिट कार्ड योजना (जीसीसी) को तत्काल कार्यान्वित करें तथा हमें उसकी सूचना दें।

भवदीया
(माधवी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त

1. उद्देश्य

इसका उद्देश्य सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के माध्यम से व्यक्तियों को गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमशीलता की गतिविधि के लिए दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है।

2. पात्रता

व्यक्तियों को दिए जानेवाले ऐसे सभी गैर कृषि उद्यमी ऋण जो कि प्राथमिकता क्षेत्र दिशा-निर्देशों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं।

3. व्याप्ति

योजना में पूरे देश को शामिल किया गया है।

4. वित्तीय सहायता का स्वरूप

उक्त योजना के तहत दी जानेवाली किसी भी ऋण सुविधा में उद्यमियों की कार्यशील पूंजी और मियादी ऋण आवश्यकताएं दोनों शामिल होंगे। जीसीसी, अधिमानत: एक स्मार्ट कार्ड/डेबिट कार्ड (एटीएम/हाथ में

धारित स्वाइप मशीन में इस्तेमाल के लिए संगत और उद्यमियों की पहचान, आस्ति और क्रेडिट प्रोफाइल आदि की पर्याप्त जानकारी के भंडारण के लिए सक्षम बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड) के रूप में जारी किया जा सकता है। जहाँ कहीं भी खाते डिजीटल नहीं किए जाते हैं, वहां जीसीसी कुछ समय के लिए एक कार्ड/पास-बुक या धारक का नाम, पता, फोटोग्राफ, उधार सीमा का विवरण, वैधता अवधि आदि युक्त एक क्रेडिट कार्ड-व-पास बुक के रूप में जारी किया जा सकता है जिसे एक पहचान पत्र के रूप में तथा निरंतर आधार पर लेनदेन की रिकॉर्डिंग की सुविधा दोनों हेतु काम में लाया जा सकेगा।

5. क्रेडिट सीमा की मात्रा

जहां तक ऋण गैर कृषि उद्यमशीलता की गतिविधि के प्रयोजन के लिए है और वह अन्यथा प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए पात्र हो तो ऋण राशि पर कोई उच्चतम सीमा नहीं होगी। उक्त सीमा मामलावार आधार पर जोखिम मूल्यांकन आधारित रूप में निर्धारित की जानी चाहिए।

6. सुरक्षा

सुरक्षा मानदंड माइक्रो और लघु इकाइयों के लिए दिए जानेवाले संपार्श्विक मुक्त ऋण पर रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होंगे।

7. ब्याज की दर

रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों पर समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के भीतर बैंकों द्वारा अपनी बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुसार निर्धारित की जानी हैं।

संलग्नक-5

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ब्याज सब्सिडी दावे

1. बैंक का नाम:

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व-रोजगार कार्यक्रम-एकल एवं स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर दिये गये ऋण हेतु त्रैमासिक ब्याज अनुदान/सब्सिडी के दावे का निवेदन (आँकड़े रु. में):

हम ब्याज सब्सिडी को अनुमोदित एवं जारी किये जाने हेतु आवेदन करते हैं कुल राशि रु.....

(रुपये.....) है जो

निम्नलिखित विवरणों के अनुसार खातों को वित्तीय सहयोग के रूप में जारी की गयी है।

(अ) स्व-रोजगार कार्यक्रम - एकल (एकल उद्यम)

संख्या	शाखा	ऋणधारक का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि		ब्याज	
				स्वीकृत	संवितरित	लागू	दावा की गई सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	कुल						

(ब) स्व-रोजगार कार्यक्रम - समूह (समूह उद्यम)

संख्या	शाखा	ऋणधारक का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि		ब्याज	
				स्वीकृत	संवितरित	लागू	दावा की गई सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	कुल						

(स) स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी. बैंक लिंकेज)

संख्या	शाखा	ऋणधारक का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋण राशि		ब्याज	
				स्वीकृत	संवितरित	लागू	दावा की गई सब्सिडी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
	कुल						

स्थान:

दिनांक एवं बैंक की मुहर

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर

संलग्नक-6

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिये गये ऋण पर 3 प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त ब्याज छूट का त्रैमासिक दावे का आवेदन

बैंक का नाम:

त्रैमासिक दावों का विवरण : संवितरित ऋण/बकाया (आँकड़े रु में)

संख्या	शाखा	महिला स्वयं सहायता समूह नाम	ऋण खाता संख्या	संवितरित ऋण राशि	अतिरिक्त ब्याज राशि
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
	कुल				

हम ये प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त ऋण समय से अदा किया जा रहा था और नियमित अदाकर्त्ता महिला स्वयं सहायता समूह को चालू ब्याज दर को, कम करते हुये 4 प्रतिशत की दर पर देकर अतिरिक्त ब्याज-छूट का लाभ महिला स्वयं सहायता समूह के खाते में दिया जा चुका है।

स्थान:

दिनांक एवं बैंक की मुहर

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर